



Neutral Citation No. 2026:AHC:57763

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन- संख्या- 1797 वर्ष 2026

जितेन्द्र कुमार भारती

..आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव, कृष्ण कांत दुबे, संतोष कुमार दुबे
विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए

कोर्ट नंबर 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दुबे और श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, साथ ही राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्री एस.के. राय को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक जितेन्द्र कुमार भारती की ओर से दायर किया गया है, जिसमें विचारण के लंबित रहने के दौरान पुलिस स्टेशन औराई, जिला भदोही में पंजीकृत केस अपराध संख्या 412 वर्ष 2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के उनतीस मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में उल्लिखित गिरोह की गतिविधियों में न तो उकसाया है और न ही सहायता की है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 26.09.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा '**प्रभाकर तिवारी बनाम 'उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648' और 'अभिमन्यु आदि बनाम केरल राज्य, 2025 आईएनएससी 1136'** के मामलों में पारित निर्णयों पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य मामले की ओर संकेत नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक, **जितेन्द्र कुमार भारती** को उपरोक्त केस अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों और एक व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं डालेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक (i) मामले के खुलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह ट्रायल कोर्ट में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

20 मार्च, 2026

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।